

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 947/2012/जोधपुर
मैसर्स सुजानमल शिखरचन्द
तकिया, चान्दशह मार्केट, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त-तृतीय, राजस्थान, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.आर.सिधवी
अभिभाषक
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक
निर्णय दिनांक 11.03.2014

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 04/आरवैट/जेयूसी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलीर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट द्वितीय, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 13.03.2008 को किया गया तथा सर्वेक्षण के पश्चात अतिरिक्त आयुक्त(वैट एण्ड आई.टी.) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 979 दिनांक 3.12.2009 के अनुसरण में पत्रावली वास्ते निस्तारण वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट तृतीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) को प्रेषित गई। सर्वेक्षण के आधार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25,55, एवं 61 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2011 पारित कर, कर रु. 36,586/-, ब्याज रु. 10,245/- एवं शास्ति रु. 75,172/- आरोपित की तथा अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत शास्ति रु. 2000/- आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 31.03.2011 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपील के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर रु. 36,586/-, ब्याज रु. 10,245/- एवं शास्ति रु. 75,172/- को अपास्त करते हुए अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को यथावत रखा है। अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा हस्तगत अपील में विवादित किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सर्वेक्षण के दौरान व्यवसाय स्थल पर लेखा पुस्तकों में दर्ज माल से स्टॉक से कम नहीं पाया गया और ना ही कोई बिक्री अनुमानित की गई पाई गई। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति प्रकरण के तथ्यों के विरुद्ध है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई की तिथि 31.03.2011 नियत की गई थी और उसे नोटिस दिनांक 30.03.2011 को सायं 4.30 बजे प्राप्त हुआ था। उनका कथन है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने के कारण वह क्लोजिंग वर्क में व्यस्त होने के कारण दिनांक 31.03.2011 को सुनवाई हेतु जयपुर पहुँचने में असमर्थ था। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.01.2012 में अंकित किया है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने नोटिस दिनांक 28.03.2011 को मिलना स्वीकार किया है, जो बिलकुल ही गलत है। उनका कथन है कि नोटिस मिलने की तारीख के सम्बन्ध में पोस्टल प्राधिकारी से जांच की जा सकती है। उनका यह भी कथन है कि उक्त स्थिति से कर निर्धारण अधिकारी को टेलीफोनिक मैसेज के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अवगत कर दिया गया था, जिस पर विचार किये बिना ही उन्होंने अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत शास्ति रु. 2000/- आरोपित की है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी नोटिस तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत रु. 2000/- की शास्ति आरोपित की, जो विधिक है। उनका कथन है कि प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी ने भी अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जो सही है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तारीख पेशी 31.03.2011 के लिए नोटिस दिनांक 14.03.2011 को जारी किया गया है, किन्तु नोटिस साधारण डाक से जारी किया जाना ज्ञात होता है क्योंकि उस पर रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट का अंकन नहीं किया हुआ है। अपीलार्थी व्यवहारी का कथन है कि नोटिस उसे 30.03.2011 को सायं 4.30 बजे प्राप्त हुआ और अगले दिन वित्तीय वर्ष क्लोजिंग होने के कारण उसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को टेलीफोनिक मैसेज से उपस्थित नहीं होने के सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया था, जबकि अपीलीय अधिकारी ने अपने


2

आदेश दिनांक 27.01.2012 में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि उसे नोटिस दिनांक 28.03.2011 को प्राप्त हो गया था, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य अपीलीय अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलीय अधिकारी की पत्रावली पर अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक का पत्र दिनांक 03.01.2012 उपलब्ध है, जिसमें अंकित है कि प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से नोटिस दिनांक 28.03.2011 को पोस्ट किया गया, जो जोधपुर दिनांक 29.03.2011 को पहुँचा और उसे दिनांक 30.3.2011 को सायं 4.30 बजे प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से बहस के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसके द्वारा 31.03.2011 को नियत तारीख पेशी पर नहीं पहुँचने के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी को सूचित किया गया हो। कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की पत्रावली पर भी ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा टेलीफोनिक मैसेज कर निर्धारण अधिकारी को दिया गया था। उपलब्ध रिकार्ड से ज्ञात होता है कि सुनवाई की तिथि से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस तामील हो गया था, और सुनवाई की तिथि को उसके उपस्थित नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत शास्ति रु. 2000/- आरोपित की गई, जो उचित है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों की जांच के पश्चात अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को यथावत रखा है।

प्रकरण के तथ्यों के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने कोई औचित्य नजर नहीं आता है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2012 के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत आरोपित को यथावत रखे जाने की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य